न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम चौधरी (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
10/2023	08/02/2023	05/04/2024

1 लाखाराम पुत्र गोपाराम जाति जाट उम्र 69 वर्ष निवासी संतोषनगर पाबुसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर(राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजूराम पुत्र मानाराम
2. फुलीदेवी पत्नी मानाराम
3. पेमाराम पुत्र मानाराम
4. चनणाराम पुत्र हीराराम
5. भोपाराम पुत्र हीराराम
6. रावलराम पुत्र हीराराम
7. लक्ष्मी पत्नी हीराराम
8. हरखाराम पुत्र हीराराम(फौत)
   सभी जातियान जाट निवासीगण संतोषनगर, पाबुसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर(राज.)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत पत्थर गढ़ी व खेत सीमाकंन बाबत

उपस्थिति :-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गे[illegible] उपस्थित।
अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible]वतसिंह भाटी उपस्थित।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम **संतोशनगर** पटवार हल्का **पाबुसर** भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र **दासानिया** तहसील शेरगढ जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 902 रकबा 6.4021 हैक्टेयर । किस्म बारानी नाम की भूमि आई हुई है। इसी कारण खेत खसरा नम्बर 902 की पत्थर गढी एवं सीमांकन करवाए जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खेत खसरा नम्बर 902 की पत्थरगढी एवं सीमांकन करवाया जाना आवश्यक है क्योंकि प्रार्थी को पत्थरगढी एवं सीमांकन नहीं होने से भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है। तथा पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है। प्रार्थी की कब्जा सुदा खातेदारी भूमि में पडौसी खसरा नम्बर 902/2 के खातेदारान दखलअन्दाजी कर रहे है। जिन्हें ऐसा करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थी के कब्जा सुदा खातेदारी भूमि में पडौसी खातेदारान द्वारा किसी प्रकार का बाधा विवाद पैदा नहीं करें ऐसी स्थिति में खेत खसरा नम्बर 902 का सीमांकन एवं पत्थर गढी करने बाबत उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थी की भूमि खेत खसरा नम्बर 902 का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है क्योंकि प्रार्थी अपनी भूमि की अच्छी तरह से देखभाल व उपजाऊ कर सके तथा भूमि में सुधार कार्य करवा सके। इस हेतू सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाना आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमि के पडौसी खातेदारान द्वारा आए दिन जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा होने तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के कब्जे व काश्त में बाधा उत्पन्न करने व मौके पर पडौसी खातेदारान द्वारा अवैध कब्जा करने पर आमादा होने के कारण प्रार्थी उक्त वादग्रस्त खसरान की भूमि की पैमाईश पत्थरगढी से करवाना चाहता है। उक्त वर्णित भूमि ग्राम **संतोशनगर** पटवार हल्का **पाबुसर** भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र **दासानिया** तहसील शेरगढ जिला जोधपुर राजस्थान में स्थित होने के कारण श्रीमानजी के न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 902 ग्राम **संतोशनगर** पटवार हल्का **पाबुसर** भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र **दासानिया** तहसील शेरगढ जिला जोधपुर का सीमांकन एवं पत्थरगढी किए जाने का आदेश मय पुलिस इमदाद के तहसीलदार शेरगढ को प्रदान करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ra
Date: 2024.05.24 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)

32

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। ।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र मे बताया की खसरा नम्बर 902 ग्राम संतोषनगर क जमीन पर तहसीलदार शेरगढ के समक्ष पैमाईश का कोई आदेश प्रापत नही किया जो पत्थरगढी के आदेश से पूर्व आवश्यक है इसके अभाव में पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

पद सख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है मूल खसरा नम्बर 902 का विभाजन होने के बाद खसरा नम्बर 902/2 लगे है इसी स्थिति में नक्शे में ऐसा कोई तरमीम नही है मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है मौके पर विवाद होने से बेदखली का वाद प्रार्थीगण द्वारा पेश करने में स्वतंत्र है इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्न नही है ।

पद सख्या 3 गलत होने से अस्वीकार है उक्त प्रकरण में जमीन उपजाउ है या नही व इसमें आवश्यक बिन्दु नही है ।

पद सख्या 4 गलत होने से अस्वीकार हे जमीन में बाधा उत्पन्न होती है तो स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जा सकता है तथा सभी पडौसी खातेदारान् को पक्षकार नही बनाया गया है तथा किसी तरफ विवाद है तथा पेमाईश के अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है ।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे खर्चे के साथ खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई । बहस पर मनन करने एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया अतः ग्राम संतोषनगर पटवार हल्का पाबूसर भू.अ.निरीक्षक दासानिया तहसील शेरगढ में स्थित खेत खसरा नम्बर 902 में तहसीलदार शेरगढ को पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है आवश्यकता होने पर तहसीलदार शेरगढ पुलिस इम्दाद प्राप्त कर सकते है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

श्री भागीरथराम
उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त कलेक्टर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी शेरगढ
शेरगढ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.05.24 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested